



न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ़ जिला-अलवर

(पीठासीन अधिकारी हरकेश मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :- 03/34/2025

1. रवि पारिक पुत्र छैलबिहारी पारिक जाति पुरोहित निवासी देवती तहसील टहला जिला अलवर हाल निवासी सुरत गुजराज।
2. जय माला पुत्री छैलबिहारी पारिक पत्नी महेश पारिक जाति पुरोहित निवासी देवती तहसील टहला जिला अलवर हाल निवासी हिगोटिया जिला दौसा।

1. तहसीलदार टहला जिला अलवर

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956
उपस्थित : 1. स्वयं - प्रार्थीगण
2. तहसीलदार टहला - अप्रार्थी
दिनांक:- 30/06/2025

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू-राजस्व अधिनियम बाबत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 77 आराजी खसरा नम्बर 1112/0.09, 640/0.15, 642/0.03, 643/0.16, 649/0.26, 793/0.09, 805/0.03, 806/0.15, 808/0.19, 809/0.31, 815/0.03, 928/0.14, 929/0.03, 946/0.31, 959/0.11, 962/0.16, 971/0.12 कुल किता 17 कुल रकबा 2.36 है0 वाके ग्राम देवती तहसील टहला जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। तथा उक्त आराजी विरासत में प्राप्त हुई थी। तथा उक्त आराजी प्रार्थी की पैत्रिक आराजी है। राजस्व रिकार्ड में विरासत नामान्तरण संख्या 260 किस्म विरासत दिनांक 21.10.2010 सहवन से प्रार्थीगण का नाम रवि पारिक पुत्र छैलबिहारी, व जय माला पुत्री छैलबिहारी की जगह सहवन से क्रमश कमलेश कुमार पुत्र छैलबिहारी व सोनू पुत्री छैलबिहारी दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थी के नाम अन्य रिकार्ड में रवि पारिक पुत्र छैलबिहारी, व जय माला पुत्री छैलबिहारी दर्ज रिकार्ड है। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। जिसे न्यायहित में दुरुस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सही नाम रवि पारिक पुत्र छैलबिहारी, जय माला पुत्री छैलबिहारी दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार टहला से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार टहला के पत्रांक क्रमांक/भूअ./2024/1412 दिनांक 30.06.2025 की पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्तोदय सम्बल पखवाडा 2025 में ग्राम पंचायत कुण्डला तहसील टहला से मौका जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि शामिल पत्रावली है। मुताबिक हाल राजस्व रिकार्ड वाके ग्राम देवती तहसील टहला खाता संख्या 77

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

कमलेश कुमार पुत्र छैलबिहारी व सोनू पुत्री छैलबिहारी देह खातेदार दर्ज है। तहसीलदार टहला की रिपोर्ट से साबित है कि कमलेश कुमार पुत्र छैलबिहारी व सोनू पुत्री छैलबिहारी व क्रमश रवि पारिक पुत्र छैलबिहारी, व जय माला पुत्री छैलबिहारी एक ही व्यक्ति है। जिसका सही नाम क्रमश रवि पारिक पुत्र छैलबिहारी, व जय माला पुत्री छैलबिहारी होना बताया गया।

3. बहस स्वयं प्रार्थी सुनी गई। दौरान-ए-बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दीहसते हुये उल्लेख किया कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 77 आराजी खसरा नम्बर 1112/0.09, 640/0.15, 642/0.03, 643/0.16, 649/0.26, 793/0.09, 805/0.03, 806/0.15, 808/0.19, 809/0.31, 815/0.03, 928/0.14, 929/0.03, 946/0.31, 959/0.11, 962/0.16, 971/0.12 कुल किता 17 कुल रकबा 2.36 है0 वाके ग्राम देवती तहसील टहला जिला अलवर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम क्रमश रवि पारिक पुत्र छैलबिहारी, व जय माला पुत्री छैलबिहारी की जगह सहवन से कमलेश कुमार पुत्र छैलबिहारी व सोनू पुत्री छैलबिहारी दर्ज कर दिया। जिसे दुरुस्त करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजत तहसीलदार टहला जिला अलवर की रिपोर्ट दिनांक क्रमांक/कैम्प कुण्डला/1412 दिनांक 30.06.2025, आधार कार्ड संख्या रवि पारिक 4886 9055 3909 पेन नम्बर DNMPP3052D, जय माला पारिक आधार कार्ड नम्बर 7698 0545 4056, एस.बी.आई बैंक खाता संख्या 61342642571 राशन कार्ड नम्बर 007853600619 आदि का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र की पुष्टि में उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार टहला की जाँच रिपोर्ट से भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्या के सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि होती है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 आराजी खाता संख्या 77 आराजी खसरा नम्बर 1112/0.09, 640/0.15, 642/0.03, 643/0.16, 649/0.26, 793/0.09, 805/0.03, 806/0.15, 808/0.19, 809/0.31, 815/0.03, 928/0.14, 929/0.03, 946/0.31, 959/0.11, 962/0.16, 971/0.12 कुल किता 17 कुल रकबा 2.36 है0 वाके ग्राम देवती तहसील टहला जिला अलवर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार टहला को आदेश दिये जाते है कि वो उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी नाम कमलेश कुमार पुत्र छैलबिहारी व सोनू पुत्री छैलबिहारी दर्ज है उसके स्थान पर रवि पारिक पुत्र छैलबिहारी, व जय माला पुत्री छैलबिहारी दुरुस्त किया जावे तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.06/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(हरकेश भीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ़
जिला-अलवर

